17/10/25 पत्रावली पेश हुई, वकील उभयपक्ष उपस्थित, वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया, पत्रावली निर्णय शुमार नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सत्यनारायण RHJS)

Scanned with CamScanner